अत्यावश्यक

पत्रांक–....................... / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–

विषय– बाढ़ से प्रभावित होने वाले संकटग्रस्त (Vulnerable) समूहों की पहचान कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा बाढ़ हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर सभी जिलों को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारी (Preparedness) एवं बाढ़ आने के दौरान प्रत्युत्तर (Response) एवं बाढ़ के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तृत एवं स्पष्ट प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उक्त मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका 2.3 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि : –

" आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से ग्राम स्तर पर गर्भवती महिलाओं तथा धातृ माताओं की पहचान कर ली जाएगी। तद्नुसार प्रत्येक प्रखंड में इसकी सूची बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्तर पर तैयार की जाएगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस सूची की एक प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे जो बाढ़ आने की दशा में मोबाईल मेडिकल टीमों को यह सूची उपलब्ध करा देंगे। ऐसा होने से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निवास करने वाली गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं के स्वास्थ्य की बेहतर देख–भाल करने में सुविधा हो सकेगी।"

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के दौरान पहचाने किये गये गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं को बाढ़ मानक संचालन प्रक्रिया में उल्लेखित नार्म्स के अनुसार समन्वित प्रयास के तहत् प्राथमिकता के आधार पर सहायता पहुंचाना है, परन्तु कई जिलों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि बाढ़ मानक संचालन प्रक्रिया में उल्लेखित उपर्युक्त दिशा–निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय, ताकि बाढ़ के दौरान गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं को ससमय राहत एवं सहायता पहुंचाया जा सके तथा उनके स्वास्थ्य की बेहतर देख–भाल की जा सके।

विश्वासभाजन
ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ....3176..../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 25/8/16

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव